27.2.19

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित प्रार्थी के अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत नोटिस तामिल कराये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रेस्पोडेन्ट के खेत की पत्थरगढी करने के आदेश दे दिये। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित है। इसके अलावा प्रार्थी की फसल खडी है। राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 7.8.92 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि खडी फसल के समय पत्थरगढी का कार्य नही किया जाकर उक्त कार्य ऑफ सीजन के समय सम्पन्न किया जावे। अतः खण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 103/2018 मे पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.1.2019 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जावे।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.12019 का अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट राजकीय भूमि पर अतिक्रमी है, ऐसी स्थिति मे उसके पक्ष मे प्रथम दृष्टया प्रकरण नही बनता है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर, निर्णित होकर मूल पत्रावली के संलग्न हो।

27/2/19

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिश्नर,जोधपुर